रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 236] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 11, 2018/चैत्र 21, 1940
No. 236] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 11, 2018/CHAITRA 21, 1940

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अप्रैल, 2018

सा.का.नि. 364(अ).—यह अधिसूचना भारत सरकार की दिनांक 23 मई, 2017 की राजपत्र अधिसूचना सं. सा.का.नि. 501(अ) के अधिक्रमण में जारी की जा रही है।

परिभाषा

1. इस अधिसूचना में -

(क) किसी संस्था (एनटिटि) को निम्नानुसार स्टार्टअप माना जाएगाः

i. यदि यह एक निजी लिमिटेड कंपनी (कंपनी अधिनियम, 2013 में यथापरिभाषित) के रूप में निगमित हो या एक भागीदारी फर्म (भागीदारी अधिनियम, 1932 की धारा 59 के अधीन पंजीकृत) के रूप में अथवा भारत में सीमित देयता भागीदारी (सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 के अधीन) के रूप में पंजीकृत हो; उसके निगमीकरण/पंजीकरण की तिथि से सात वर्ष तक। तथापि, जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में, यह अवधि उसके निगमीकरण/पंजीकरण की तिथि से दस वर्ष तक होगी; और

ii. निगमीकरण/पंजीकरण के बाद से यदि किसी वित्तीय वर्ष में उसका कारोबार 25 करोड़ रुपए से अधिक नहीं हुआ हो; और

iii. यदि यह उत्पादों या प्रक्रियाओं या सेवाओं के अभिनवीकरण, विकास या सुधार के संबंध में कार्य कर रहा है अथवा यह रोजगार सृजन या धन सृजन की उच्च संभावना वाला एक स्केलेबल व्यावसायिक मॉडल है।

पहले से ही मौजूद किसी व्यवसाय के विभाजन या उसके पुनर्निर्माण के माध्यम से बनायी गयी किसी संस्था (एनटिटि) को 'स्टार्टअप' नहीं माना जाएगा।

स्पष्टीकरण

किसी संस्था (एनटिटि) को उसके निगमीकरण/पंजीकरण की तिथि से सात वर्ष पूरे होने पर अथवा किसी विगत वर्ष में उसका कारोबार 25 करोड़ रुपए से अधिक होने पर स्टार्टअप नहीं माना जाएगा। तथापि, जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में, किसी संस्था (एनटिटि) को उसके निगमीकरण/पंजीकरण की तिथि से 10 वर्ष पूरा होने या किसी विगत वर्ष में उसका कारोबार 25 करोड़ रुपए से अधिक होने पर स्टार्टअप नहीं माना जाएगा।

(ख) "अधिनियम" का तात्पर्य आयकर अधिनियम, 1961 है;

(ग) "बोर्ड" का तात्पर्य निम्नलिखित सदस्यों वाला अंतर-मंत्रालय प्रमाणन बोर्ड है:-

(i) अपर सचिव, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, संयोजक

(ii) प्रतिनिधि, कार्पोरेट कार्य मंत्रालय, सदस्य

(iii) प्रतिनिधि, इलेक्ट्रोनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सदस्य

(iv) प्रतिनिधि, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, सदस्य

(v) प्रतिनिधि, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, सदस्य

(vi) प्रतिनिधि, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, सदस्य

(vii) प्रतिनिधि, भारतीय रिजर्व बैंक, सदस्य

(viii) प्रतिनिधि, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, सदस्य

(घ) "सीमित देयता भागीदारी" का अर्थ सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा (2) की उप-धारा (1) का खंड (ढ) में दिए गए अनुसार होगा;

(ङ) "मर्चेंट बैंकर" का अर्थ भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 3 के तहत भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड में पंजीकृत श्रेणी-I मर्चेंट बैंकर है;

(च) "भागीदार कंपनी" का अर्थ भागीदारी अधिनिमय, 1932 की धारा 59 के तहत पंजीकृत कंपनी है;

(छ) "निजी लिमिटेड कंपनी" का अर्थ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड (68) में दिए गए अनुसार होगा;

(ज) "कारोबार" का अर्थ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड (91) में दिए गए अनुसार होगा;

(झ) इस अधिसूचना में "प्रपत्रों" के सभी संदर्भों को इसके परिशिष्ट-I में दिए गए प्रपत्रों के संदर्भ के रूप में माना जाएगा।

मान्यता

2. स्टार्टअप के रूप में पात्र कंपनी की मान्यता की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी:

(i) स्टार्टअप द्वारा औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग द्वारा स्थापित मोबाइल ऐप/पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा;

(ii) आवेदन के साथ निम्नलिखित प्रस्तुत करना आवश्यक होगा-

(क) यथा वांछित निगमीकरण/पंजीकरण प्रमाण-पत्र की प्रति, और

(ख) व्यवसाय के स्वरूप का ब्यौरा जिसमें यह प्रमुखता से दर्शाना होगा कि वह उत्पादों या प्रक्रियाओं या सेवाओं के अभिनवीकरण, विकास या सुधार या रोजगार सृजन या धन सृजन के सन्दर्भ में अपनी स्केलेबिलिटी की दिशा में किस प्रकार कार्य कर रहा है।

(iii) औद्योगिक नीति एवं संवधर्न विभाग ऐसे दस्तावेज अथवा सूचना मांगे जाने तथा जांच करने के बाद, जैसा भी उचित समझे -

(क) पात्र कंपनी को स्टार्टअप के रूप में मान्यता दे सकता है अथवा

(ख) कारण बताते हुए आवेदन को निरस्त कर सकता है।

अधिनियम की धारा 80-आईएसी के प्रयोजन हेतु प्रमाणन

3. एक स्टार्टअप जो 1 अप्रैल, 2016 को अथवा उसके पश्चात लेकिन 1 अप्रैल, 2021 से पूर्व एक प्रा. लि. कम्पनी है अथवा एक सीमित दायित्व वाली भागीदारी में शामिल है, को अधिनियम की धारा 80-आईएसी के प्रयोजन हेतु प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए प्रपत्र-1 में उसमें उल्लिखित दस्तावेजों सहित बोर्ड को आवेदन करना होगा और बोर्ड ऐसे दस्तावेजों अथवा सूचना मंगाने और आवश्यक जांच के पश्चात, यथाउपयुक्त पाए जाने पर-

(i) अधिनियम की धारा 80-आईएसी की उपधारा (4) के सन्दर्भ में नीचे दिए गए विवरण के खण्ड (ii) के उपखण्ड (ग) में सन्दर्भित प्रमाणपत्र जारी कर सकता है; अथवा

(ii) कारण बताते हुए आवेदन रद्द कर सकता है

अधिनियम की धारा 56 की उपधारा (2) के खण्ड (viiख) के संबंध में अनुमोदन

4. (1) एक स्टार्टअप एक प्रा. लि. कम्पनी होने के कारण और पैरा 1(क) में निर्धारित परिभाषा के अनुसार परिभाषा के अनुरूप होने पर अधिनियम की धारा 56 की उपधारा (2) के खण्ड (viiख) के प्रयोजन हेतु अनुमोदन के लिए आवेदन करने का पात्र होगा, यदि वह निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता हैः-

i. प्रस्तावित शेयर जारी करने के पश्चात स्टार्टअप कुल प्रदत्त शेयर पूंजी और शेयर प्रीमियम की कुल राशि 10 करोड़ रु. से अधिक न हो,

ii. निवेशक/प्रस्तावित निवेशक, जिसके द्वारा स्टार्टअप के शेयर इश्यू सब्सक्राइब किए जाने का प्रस्ताव है (इस अधिसूचना में इसके पश्चात उन्हें "निवेशक" कहा गया है), की –

(क) पिछले 3 वित्तीय वर्षों के दौरान औसतन 25 लाख रु. या अधिक की प्राप्त आय हो; अथवा

(ख) पिछले वित्तीय वर्ष की अन्तिम तिथि को कुल सम्पत्ति 2 करोड़ रु. या उससे अधिक हो, तथा

iii. स्टार्टअप द्वारा किसी मर्चेन्ट बैंकर से एक रिपोर्ट प्राप्त की गई हो जिसमें आयकर नियम, 1962 के नियम 11 यूए के अनुसार, शेयरों के सही बाजार मूल्य का उल्लेख किया गया हो।

(2) इस पैरा के तहत अनुमोदन के लिए आवेदन प्रपत्र-2 में बोर्ड को प्रस्तुत किया जाएगा तथा इसके साथ इसमें उल्लिखित दस्तावेज संलग्न किए जाएंगे।

(3) बोर्ड ऐसे दस्तावेजों अथवा सूचना मंगाने और आवश्यक पूछताछ के पश्चात, यथाउपयुक्त पाए जाने पर-

(i) अधिनियम की धारा 56 की उपधारा (2) के खण्ड (viiख) के संबंध में अनुमोदन प्रदान कर सकता है, जिसमें निवेशक के ब्यौरे, प्रीमियम की राशि जिस पर शेयर जारी किए जाने हों और शेयर जारी किए जाने के संबंध में नवीनतम तारीख सहित संगत ब्यौरों का उल्लेख हो; अथवा

(ii) कारण बताने के पश्चात उक्त अनुमोदन प्रदान करने से मना कर सकता है।

निरसन

5.(1) यदि यह पाया जाता है कि ऊपर पैरा 3 या पैरा 4 के संदर्भ में किसी भी प्रमाण-पत्र या अनुमोदन को गलत जानकारी के आधार पर प्राप्त किया गया है, तो बोर्ड के पास ऐसे प्रमाण-पत्र या अनुमोदन को निरस्त करने का अधिकार होगा।

(2) जहां उप-पैरा (1) के तहत प्रमाण-पत्र या अनुमोदन रद्द कर दिया गया है, ऐसे प्रमाण-पत्र या अनुमोदन को बोर्ड द्वारा कभी भी जारी या मंजूर नहीं किया गया माना जाएगा।

प्रभाव

6. यह अधिसूचना सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी। सरकार द्वारा इस अधिसूचना के लाभों का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन किया जाएगा तथा दिनांक 31.03.2019 से पहले समीक्षा की जाएगी।

[फा. सं. 5(4) /2018-एसआई]

अनिल अग्रवाल, संयुक्त सचिव

परिशिष्ट-I

प्रपत्र-1

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 (आईएसी) के प्रयोजनों हेतु प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन

1. स्टार्टअप का नाम - …………………………
2. स्टार्टअप के निगमीकरण / पंजीकरण की तारीख-…………………………..
3. निगमन संख्या/ पंजीकरण संख्या…………………………
4. पता और व्यापार स्थान - ……………………………….
5. व्यवसाय की प्रकृति …………………
6. स्टार्टअप का संपर्क विवरण (फोन नंबर और ईमेल)- …………
7. स्थायी खाता संख्या - ………………………………..
8. मौजूदा / प्रस्तावित गतिविधियां - ……………………………………

(संगम ज्ञापन, एलएलपी / साझेदारी विलेख, बोर्ड संकल्प आदि की प्रति संलग्न करें)

घोषणा

मैं/ हम एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूँ/ करते हैं कि मेरे/हमारे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी सत्य है और कोई प्रासंगिक जानकारी छुपाई नहीं गई है।

कृते (स्टार्टअप का नाम)

(अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम) पदनाम

स्थान: _______

दिनांक: _______

इस प्रपत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों (यदि लागू हो) को संलग्न किया जाएगा -

1. पिछले तीन वित्तीय वर्ष के लिए स्टार्टअप के वार्षिक खाते
2. पिछले तीन वित्तीय वर्षों की आयकर रिटर्न की प्रतियां

प्रपत्र-2

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 56 (2) (vii ख) के प्रयोजनों के लिए अनुमोदन हेतु आवेदन-पत्र

1. स्टार्टअप का नाम ....
2. स्टार्ट-अप के निगमन / पंजीकरण की तिथि - ....
3. निगमन संख्या / पंजीकरण संख्या ....
4. पता और व्यवसाय स्थान- ....
5. व्यवसाय की प्रकृति ....
6. स्टार्टअप का संपर्क विवरण (फोन नंबर और ईमेल) - ....
7. स्थायी खाता संख्या - ....
8. डीआईपीपी द्वारा आवंटित स्टार्टअप मान्यता संख्या - ....

9. मौजूदा / प्रस्तावित गतिविधियां - ....

(संगम ज्ञापन, एलएलपी / भागीदारी विलेख, बोर्ड संकल्प आदि की प्रति संलग्न करें)

10. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 - आईएसी के तहत दिए गए प्रमाण-पत्र का विवरण, यदि कोई है ....

11. आवेदन की तारीख के अनुसार शेयर पूंजी का विवरण-

(i) शेयर पूंजी की राशि ...

(ii) शेयर प्रीमियम की राशि ......

(iii) शेयरों का प्रकार ....

(iv) शेयरों की संख्या ....

(v) अंकित मूल्य ....

(vi) निर्गम मूल्य ....

12. शेयरों के प्रस्तावित निर्गम का विवरण-

(i) शेयरों का प्रकार ....

(ii) शेयरों की संख्या ....

(iii) अंकित मूल्य ....

(iv) प्रति शेयर प्रीमियम ....

(v) निर्गम मूल्य ....

(vi) शेयर जारी करने की प्रस्तावित तिथि ....

13. निवेशक का विवरण-

(i) निवेशक (निवेशकों) का नाम - ....

(ii) पता - ....

(iii) संपर्क विवरण (फोन नंबर और ईमेल) - ....

(iv) स्थायी खाता संख्या - ....

(v) व्यवसाय की प्रकृति- ....

(यदि लागू हो तो संगम ज्ञापन, एलएलपी / भागीदारी विलेख, बोर्ड संकल्प आदि की प्रति संलग्न करें)

(vi) आवासीय स्थिति ....

(vii) प्रस्तावित निवेश की राशि ....

(viii) पिछले तीन वित्तीय वर्षों में निवेशक की औसत आय -

(ix) पिछले वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि पर निवेशक की निवल सम्पत्ति –

14. एक मर्चेंट बैंकर की रिपोर्ट के अनुसार शेयरों का उचित बाजार मूल्य ....

घोषणा

मैं / हम यह प्रमाणित करता हूं/करते हैं कि मेरे/हमारे द्वारा दी गई उपर्युक्त जानकारी सही है और कोई प्रासंगिक जानकारी छुपायी नहीं गई है।

कृते (स्टार्टअप का नाम)

(अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम) पदनाम

स्थान: _______

दिनांक: _______

इस फॉर्म के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न किए जाएं -

क. स्टार्ट-अप के निगमन की तारीख से स्टार्टअप के वार्षिक खाते;

ख. मौजूदा शेयरधारकों का नाम, पैन और पता और उनकी शेयर राशि तथा राशि जिस पर उन्हें शेयर जारी किए जाते हैं;

ग. पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए निवेशक के आयकर रिटर्न की प्रति;

घ. पिछले वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन की स्थिति के अनुसार निवेशक की बैलेंस शीट की प्रति; और

ङ. मर्चेंट बैंकर की रिपोर्ट

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Industrial Policy and Promotion)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th April, 2018

G.S.R. 364(E).—This notification is being issued in supersession of Gazette Notification No. G.S.R. 501(E) dated May 23, 2017.

Definitions

1. In this notification,—

(a) An entity shall be considered as a Startup:

i. Upto a period of seven years from the date of incorporation/registration, if it is incorporated as a private limited company (as defined in the Companies Act, 2013) or registered as a partnership firm (registered under section 59 of the Partnership Act, 1932) or a limited liability partnership (under the Limited Liability Partnership Act, 2008) in India. In the case of Startups in the biotechnology sector, the period shall be upto ten years from the date of its incorporation/ registration.

ii. Turnover of the entity for any of the financial years since incorporation/ registration has not exceeded Rs. 25 crore

iii. Entity is working towards innovation, development or improvement of products or processes or services, or if it is a scalable business model with a high potential of employment generation or wealth creation.

Provided that an entity formed by splitting up or reconstruction of an existing business shall not be considered a 'Startup'.

Explanation-

An entity shall cease to be a Startup on completion of seven years from the date of its incorporation/ registration or if its turnover for any previous year exceeds Rupees 25 crore. In respect of Startups in the biotechnology sector, an entity shall cease to be a Startup on completion of ten years from the date of its incorporation/ registration or if its turnover for any previous year exceeds Rs. 25 crore.

(b) "Act" means the Income-tax Act,1961;

(c) “Board” means the Inter-Ministerial Board of Certification comprising of the following members: —

(i) Additional Secretary, Department of Industrial Policy and Promotion, Convener

(ii) Representative of Ministry of Corporate Affairs, Member

(iii) Representative of Ministry of Electronics and Information Technology, Member

(iv) Representative of Department of Biotechnology, Member

(v) Representative of Department of Science & Technology, Member

(vi) Representative of Central Board of Direct Taxes, Member

(vii) Representative of Reserve Bank of India, Member

(viii) Representative of Securities and Exchange Board of India, Member

(d) “limited liability partnership” shall have the meaning as assigned to it in clause (n) of sub-section(1) of Section 2 of the Limited Liability Partnership Act, 2008;

(e) "merchant banker" means category I merchant banker registered with Securities and Exchange Board of India established under section 3 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992);

(f) “partnership firm” means a firm registered under section 59 of the Partnership Act, 1932;

(g) “private limited company” shall have the meaning as assigned to it in clause (68) Section 2 of the Companies Act, 2013;

(i) “turnover” shall have the meaning as assigned to it in clause (91) Section 2 of the Companies Act, 2013;

(j) All references to “Forms” in this notification shall be construed as references to the forms set out in Appendix-I hereto.

Recognition

2. The process of recognition of an eligible entity as startup shall be as under: —

(i) A Startup shall make an online application over the mobile app or portal set up by the Department of Industrial Policy and Promotion.

(ii) The application shall be accompanied by—

(a) a copy of Certificate of Incorporation or Registration, as the case may be, and

(b) a write-up about the nature of business highlighting how it is working towards innovation, development or improvement of products or processes or services, or its scalability in terms of employment generation or wealth creation.

(iii) The Department of Industrial Policy and Promotion may, after calling for such documents or information and making such enquires, as it may deem fit, —

(a) recognise the eligible entity as Startup; or

(b) reject the application by providing reasons.

Certification for the purposes of section 80-IAC of the Act

3. A Startup being a private limited company or a limited liability partnership incorporated on or after 1st day of April 2016 but before 1st day of April 2021 may, for obtaining a certificate for the purposes of section 80-IAC of the Act, make an application in Form-1 along with documents specified therein to the Board and the Board may, after calling for such documents or information and making such enquires, as it may deem fit, —

(i) grant the certificate referred to in sub-clause (c) of clause (ii) of the Explanation below sub-section (4) of section 80-IAC of the Act; or

(ii) reject the application by providing reasons

Approval for the purposes of clause (viib) of sub-section (2) of section 56 of the Act

4. (1) A Startup being a private limited company and in conformity with the definition as per definition stipulated at Para 1(a) shall be eligible to apply for approval for the purposes of clause (viib) of sub-section (2) of section 56 of the Act, if the following conditions are fulfilled: —

(i) the aggregate amount of paid up share capital and share premium of the startup after the proposed issue of shares does not exceed ten crore rupees,

(ii) the investor/ proposed investor, who proposed to subscribe to the issue of shares of the startup (hereinafter in this notification referred to as "investor") has, —

(a) the average returned income of twenty five lakh rupees or more for the preceding three financial years; or

(b) the net worth of two crore rupees or more as on the last date of the preceding financial year, and

(iii) the startup has obtained a report from a merchant banker specifying the fair market value of shares in accordance with Rule 11UA of the Income-tax Rules, 1962.

(2) the application for approval under this para shall be made in Form-2 to the Board and shall be accompanied by the documents specified therein.

(3) The Board may, after calling for such documents or information and making such enquiries, as it may deem fit, —

(i) grant approval for the purposes of clause (viib) of sub-section (2) of section 56 of the Act, specifying the relevant details, including details of investor, amount of premium on which shares are to be issued, and the latest date by which the shares are to be issued; or

(ii) decline to grant the said approval after providing reasons.

Revocation

5.(1) In case it is found that any certificate or approval referred to para 3 or para 4 have been obtained on the basis of false information, the Board reserves the right to revoke such certificate or approval.

(2) Where the certificate or approval has been revoked under sub-para(1), such certificate or approval shall be deemed never to have been issued or granted by the Board.

Effect

6. This notification shall come into effect on the date of its publication in the Official Gazette. The Government will undertake independent evaluation of the benefits of this Notification and carry out a review before 31.03.2019.

[F. No. 5(4)/2018-SI]

ANIL AGRAWAL, Jt. Secy.

APPENDIX-I

Form-1

Application for certificate for the purposes of section 80-IAC of the Income-tax Act, 1961

1. Name of the Startup - …………………………
2. Date of incorporation/ registration of Startup - ……………………………..
3. Incorporation No./ registration No.…………………………
4. Address and business location- ………………………………..
5. Nature of business…………………
6. Contact details of Startup (Phone No. and Email)- ………….
7. Permanent Account No - ………………………………..
8. Existing/ proposed activities - ……………………………………

(Enclose copy of Memorandum of Association, LLP/partnership Deed, Board Resolution etc.)

Declaration

I/ We hereby certify that the above information furnished by me is true and no relevant information has been concealed.

For (Name of the Startup)

(Name of the authorised signatory) Designation

Place: _______

Date: _______

This form shall be accompanied by the following documents (if applicable)-

1. Annual Accounts of the startup for the last three financial years
2. Copies of income-tax returns for the last three financial years

Form-2

Application for approval for the purposes of section 56(2)(viib) of the Income-tax Act, 1961

1. Name of the Startup - …………………………
2. Date of incorporation/ registration of Startup - …………………………..
3. Incorporation No./ registration No.…………………………
4. Address and business location- ………………………………..
5. Nature of business…………………
6. Contact details of Startup (Phone No. and Email)- ………….
7. Permanent Account No. - ………………………………..
8. Startup Recognition number allotted by DIPP - ……………………………….
9. Existing/ proposed activities - ……………………………………

(Enclose copy of Memorandum of Association, LLP/partnership Deed, Board Resolution etc.)

10. Details of certificate granted under section 80-IAC of Income-tax Act,1961 , if any...........
11. Details of share capital as on the date of application-

(i) Amount of share capital………

(ii) Amount of share premium……

(iii) Type of shares…………

(iv) Number of shares.........

(v) Face value....................

(vi) Issue price...................

12. Details of proposed issue of shares-

(i) Type of shares………..

(ii) Number of shares.........

(iii) Face value....................

(iv) Premium per share……….

(v) Issue price...................

(vi) Proposed date of issue of shares………………….

13. Details of the investor-

(i) Name of the investor(s)- ……………………………………………..…

(ii) Address - ……………………………………………………………………

(iii) Contact Details (Phone No. and Email) - ………….

(iv) Permanent Account No - ……………………………………………..

(v) Nature of business- ……………………………………………………..

(Enclose copy of Memorandum of Association, LLP/Partnership Deed, Board Resolution etc., if applicable)

(vi) Residential status……………………………………………………

(vii) Amount of investment proposed …………………………..

(viii) Average Returned income of the investor in the last three financial years-

(ix) Net-worth of the investor on the last date of the preceding financial year-

14. Fair market value of shares as per the report of a merchant banker.........................

Declaration

I/We hereby certify that the above information furnished by me is true and no relevant information has been concealed.

For (Name of the Startup)

(Name of the authorised signatory) Designation

Place: _______

Date: _______

This form shall be accompanied by the following documents —

a. the annual accounts of the startup from the date of its incorporation;

b. name, PAN and address of the existing shareholders along with their shareholding and the amount at which shares are issued to them;

c. copy of income-tax returns of the investor for the last three financial years;

d. copy of balance sheet of the investor as on the last day of the preceding financial year; and

e. merchant banker's report.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.